

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, झुंजरपुर

मिसल नं० 662
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 21-06-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री धुला पिता झुंजला मीजा

जति मीजा उम्र 46 नि० प्रीपलादा तहसील झुंजरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत प्रीपलादा दिनांक 21-06-2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मीजा प्रीपलादा पंचायत समिति.....

झुंजरपुर में स्थित खाता संख्या 96 पर आराजी नं० 992 कुल 17 बीघा 17 बिस्वा कित्ता 1 योग रकबा 17 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लड़ाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी नाथू पि. डिलिया नि० प्रीपलादा ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम प्रीपलादा के खसरा नं० 996 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 11-11 की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मीजा प्रीपलादा में स्थित खाता संख्या 96 पर आराजी नं० 992 रकबा 17 बिस्वा कुल कित्ता 1 कुल रकबा 17 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मीजा प्रीपलादा मे स्थित खाता संख्या 96 पर आराजी नं० 992 रकबा 17 बिस्वा कुल कित्ता 1 कुल रकबा 17 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, झुंजरपुर नू०अ० निरीक्षक डा.डा.गोरेया के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, झुंजरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 900/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फौसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

झुंजरपुर